यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 07/2014 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/05/2017 से 18/05/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 07/07/2014 से 10/07/2014 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ..... से 06/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2014 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
2014-15	4700,4701,4711,2700,2701, 2702,2711,2245,4059	67468.12	63260.13	7882.20	7800.00
2015-16	4700,4701,4711,2700,2701, 2702,2711,2245,4059	77580.66	69470.43	7682.62	7469.00
2016-17	4700,4701,4711,2700,2701, 2702,2711,2245,4059	43405.55	41592.40	7103.03	7102.63

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	केन्द्रपुरोनिधारित	-	27065.00	25819.91	
2015-16		-	32616.79	30455.25	
2016-17		-	5666.67	5665.38	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता (श्रीनगर)
अधीक्षण अ भयन्ता (रूद्रप्रयाग)
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता**,** संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता**,** संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017, 04/2016 एवं 04/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। ..... लागू नहीं.....का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 12/03/2015 से 18/12/2015 का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह .....N/A..... तथा .....N/A..... तक की गई।
5. फार्म 51: माह .....N/A..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - N/A

   भाग द् वतीय - N/A

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2017 के अन्त में
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम
   (ख) सामग्री क्रय
   (ग) नगद परिशोधन
   (घ) निक्षेप
   (ङ) भण्डार

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1- बिना शासन की स्वीकृति के फर्म के संचालन से जल दोहन के सापेक्ष रायल्टी (38.16 लाख) का एवं जल संस्थान/पेयजल जैसे वभागों से बीजक 14.13 करोड़ की वसूली न होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा M/s गंगोत्री मनरल्स, उत्तरकाशी को भागीरथी नदी से मनरल वाटर हेतु पानी लेने क स्वीकृति प्रदान (जून 2005) क गयी थी जिसमे उल्लेख था क भ वष्य में मनरल वाटर प्लांट की स्थापना हेतु प्राप्त होने वाले अन्य आवेदन का निस्तारण उक्त शासनादेश की सामान्य प्रतिबंधों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख अ भयंता, संचाई वभाग, देहरादून के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2017) क उपरोक्त क्रम में एक अन्य फर्म मैसर्स अमृतगंगा जलम द्वारा मुनिकारेती, टिहरी में वर्ष 2010 में अपनी फर्म स्था पत करने के उपरांत बिना शासन की स्वीकृति प्राप्त कए संचाई खण्ड, नरेंद्र नगर व जिला धकारी टिहरी से NOC प्राप्त कर फार्म का संचालन शुरू कर दिया गया था कन्तु वभआग द्वारा उक्त फर्म से व्यावसायिक रूप से जल का उपयोग करने पर न तो कोई रायल्टी (वर्ष 2010-11 से) ली जा रही थी और न ही फर्म के द्वारा उपयोग की जा रही जल की मात्रा का कोई रिकार्ड रखा जा रहा था। उपलब्ध अ भलेखों के अनुसार वभाग के पास मात्र वर्ष 2016-7 के लए फर्म से वसूल की जाने वाली धनरा श 6.36 लाख आग णत थी जिसकी वसूली हेतु पत्र संबं धत खण्ड को नहीं भेजा गया था। यदि इस दर से रायल्टी की वसूली वगत वर्षों से (फर्म की स्थापना के बाद) आग णत की जाती है तो यह धनरा श 38.16 लाख होती है। इसके अतिरिक्त वभाग द्वारा अन्य वभागो viz. जल संस्थान भीमताल, हल्द्वानी, कोटद्वार, पथुवाला(देहरादून), राजपुर (देहरादून) एवं पेयजल निगम, देहरादून द्वारा जल के उपयोग के सापेक्ष माह 03/2014 से माह 03/2015 तक लंबित जलकर की धनरा श 1412.53 लाख भी वसूल नहीं की गयी थी।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क अमृत गंगा से संबं धत प्रकरण शासन की स्वीकृति हेतु भेजा गया है जो वर्तमान तक स्वीकृत नहीं है जिसके कारण राजस्व की वसूली नहीं की जा रही है। शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर रायल्टी वसूली कर ली जाएगी। जल संस्थान/पेयजल निगम से लंबित वसूली के संदर्भ में बताया गया क उक्त धनरा श की वसूली हेतु संबं धत वभाग से लगातार पत्र व्यवहार कया जा रहा है।

वभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क वभाग द्वारा फर्म के वरूद्ध बिना शासन की स्वीकृति के संचालन हेतु न कोई पेनाल्टी या कार्यवाही की गयी अ पतु जल के व्यवसायिक उपयोग पर कोई

रायल्टी वसूल नहीं की गयी थी, साथ ही जल संस्थान/पेयजल निगम से लंबित वसूली 14.13 करोड़ के संबंध में भी वभाग का रवैया उदासीन था। अतः कुल 14.51 करोड़[1] की वसूली न कए जा सकने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] 38.16 लाख + 1412.53 लाख = 1450.69 लाख

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2- भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति की प्रत्याशा में 2609.00 लाख का अलाभकारी व्यय।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपो षत योजना (AIBP-MI) के अन्तर्गत 33 बंच के योजनाओं के क्रयान्यवन हेतु 6082.29 लाख (90 % केंन्द्रांश एवं 10% राज्यान्श0 की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (दिसम्बर 2013) थी जिसके सापेक्ष शासन द्वारा राज्यान्श के रूप में 608.229 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी थी (जनवरी 2014)।

प्रमुख अ भयन्ता, संचाई वभाग, देहरादून के अ भलेखों की जांच में (मई 2017) में पाया गया क वभाग के अंतर्गत व भन्न खण्डों द्वारा उपरोक्त 33 बंच के अंतर्गत 25 योजनाओं पर राजयां 608.229 लाख के सापेक्ष 2612.07 लाख का कार्य निष्पादित कराया गया था जिससे 2000.852 लाख की देनदारियां सृजित हो गयी थी (अप्रैल 2015)। वभाग की संस्तुति पर शासन द्वारा 2000.00 लाख की धनरा श इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी (जून 2015) थी क वभाग द्वारा उक्त धनरा श का भारत सरकार से समायोजित कराया जाना सुनिश्चित कया जाएगा। पुनः लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क वभाग द्वारा उक्त धनरा श का समायोजन वर्तमान तक भी नहीं कया गया था और 2612.07 लाख व्यय के उपरानत् भी उक्त सभी 25 योजनाए (33 बंच) अपूर्ण थी।

उक्त क ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर में बताया गया क 33 बंच योजना को भारत सरकार द्वारा वर्तमान तक AIBP के अंतर्गत सम्मि लत नहीं कया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं योजना संचरत है। अतः वत्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु धन आवंटन होने पर वत्तीय लक्ष्य पूर्ण हो पाएंगे।

वभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क वभाग द्वारा एक तरफ मात्रा 2000.00 लाख के सृजित देनदारी की मांग शासन से की गयी थी जो वभाग को केंद्रान्श के रूप में समायोजित कया जाना था जिसमें वभाग असफल रहा तो वही दूसरी साक्ष्यों के अनुसार उक्त 33 बंच के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्य वर्तमान तक निर्माणाधीन थे।

अतः वभाग द्वारा बिना भारत सरकार की स्वीकृति की योजनाओं पर 2612.07 लाख क व्यय कया गया अ पतु योजना के अपूर्ण रहने से उस पर कया गया व्यय एक अलाभकारी व्यय था, का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या -	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
शून्य		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री राजेन्द्र चाल्सिमांक्कर,	प्रमुख अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) /

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय प्रमुख अ भयन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II